



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062026-273385
CG-DL-E-12062026-273385

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2885]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2026/ज्येष्ठ 21, 1948

No. 2885]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISTHA 21, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2026

का.आ. 2983(अ).—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की भूमि में से कोयला अभिप्रास किए जाने की संभावना है;

और उक्त अधिसूची में वर्णित भूमि के क्षेत्र में अंतर्विष्ट ब्योरे रेखांक सी-1(ई)/III/जेजेएनआर/ 0426/1037, तारीख 11 अप्रैल, 2026, का निरीक्षण, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (राजस्व विभाग) कोल इस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या मुख्य महाप्रबंधक (अन्वेषण प्रभाग), केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान, गोंडवाना पॅलेस, कांके रोड, रांची - 834 008, झारखंड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5th फ्लोर, कोर-2, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली - 110 092 के कार्यालय में या जिला कलेक्टर, यवतमाल (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से कोयले के लिए पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति-

(i) उक्त अधिसूचना की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन की गई किसी कार्यवाही से हुई या होने वाली संभावित किसी क्षति के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; या

(ii) उक्त अधिनियम की धारा (13) की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चाटों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा।

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वणी नॉर्थ क्षेत्र, पोस्ट भालर, जिला यवतमाल (महाराष्ट्र) या मुख्य प्रबंधक (भूमि और राजस्व), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भूमि और राजस्व विभाग, कोल ईस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001 (महाराष्ट्र) को भेज सकेगा।

अनुसूची

डब्ल्यू.सी.एल

यवतमाल

बोर्ड भूमिगत खदान

बोर्ड एंड बोर्ड एक्सटेंशन (कंबाईंड) भौगोलिक उप ब्लाक

[रेखांक धारक संख्या: सी-1(ई)/III/जेजेएनआर/0426/1037, तारीख 11 अप्रैल, 2026]

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी प्रभाग संख्यां	तहसील	जिला	भूमि का वर्णन				टिप्पणी
					कस्तकारी	सरकारी	वन	कुल (हेक्टर मे)	
1	अर्जुनी	24	मारेगांव	यवतमाल	488.74	34.16	0.00	522.90	भाग
2	सुरला	14	झरी जामनी	यवतमाल	320.91	7.18	0.00	328.09	भाग
3	गोधणी	24	मारेगांव	यवतमाल	256.34	6.39	129.11	391.84	भाग
4	उमरघाट	24	मारेगांव	यवतमाल	162.97	26.21	0.00	189.18	भाग
5	जगलोण	24	मारेगांव	यवतमाल	83.91	2.49	0.00	86.40	भाग
6	केगाव	24	मारेगांव	यवतमाल	6.50	0.00	0.00	6.50	भाग
7	बोर्ड	27	वणी	यवतमाल	0.00	1.48	296.62	298.10	भाग
कुल					1319.37	77.91	425.73	1823.01	

कुल क्षेत्र: 1823.01 हेक्टर (लगभग) या 4504.658 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन:

- क-ख: सीमा रेखा ग्राम जगलोण में बिंदु 'क' से प्रारंभ होती है तथा उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर ग्राम जगलोण एवं सुर्ला की सम्मिलित ग्राम सीमा रेखा पर बिंदु 'ख' से मिलती है।
- ख-ग: सीमा रेखा बिंदु 'ख' से आरंभ होती है तथा उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर ग्राम सुरला की ग्राम सड़क पर स्थित बिंदु 'ग' से मिलती है।
- ग-घ: सीमा रेखा बिंदु 'ग' से आरंभ होती है तथा उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर ग्राम सुर्ला में स्थित बिंदु 'घ' से मिलती है।
- घ-ड: सीमा रेखा बिंदु 'घ' से आरंभ होती है तथा उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर ग्राम सुरला से गुजरते हुए, ग्राम अर्जुनी एवं ग्राम सुर्ला की सम्मिलित ग्राम सीमा पर स्थित बिंदु 'ड' से मिलती है।
- ड-च: सीमा रेखा बिंदु 'ड' से आरंभ होती है तथा उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर ग्राम अर्जुनी की ग्राम सीमा के साथ-साथ गुजरते हुए, ग्राम अर्जुनी में अर्जुनी नदी/नाला के निकट स्थित बिंदु 'च' से मिलती है।

- च-छ: सीमा रेखा बिंदु 'च' से आरंभ होती है तथा उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर अर्जुनी नदी/नाला को पार कर, ग्राम अर्जुनी की ग्राम सीमा पर स्थित बिंदु 'छ' से मिलती है।
- छ-ज: सीमा रेखा बिंदु 'छ' से आरंभ होती है तथा उत्तर दिशा की ओर ग्राम अर्जुनी की ग्राम सीमा के साथ-साथ गुजरते हुए, बिंदु 'ज' से मिलती है।
- ज-झ: सीमा रेखा बिंदु 'ज' से आरंभ होती है तथा उत्तर-पूर्व दिशा की ओर एक छोटी नदी/नाला पार कर ग्राम अर्जुनी की ग्राम सीमा पर स्थित बिंदु 'झ' से मिलती है।
- झ-ञ: सीमा रेखा बिंदु 'झ' से आरंभ होती है तथा उत्तर दिशा की ओर ग्राम अर्जुनी की ग्राम सीमा पर स्थित बिंदु 'ञ' से मिलती है।
- ञ-ट: सीमा रेखा बिंदु 'ञ' से आरंभ होती है तथा दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर छोटी नदी/नाला को पार कर ग्राम अर्जुनी की ग्राम सीमा रेखा पर स्थित बिंदु 'ट' से मिलती है।
- ट-ठ: सीमा रेखा बिंदु 'ट' से आरंभ होती है तथा पूर्व दिशा की ओर ग्राम अर्जुनी एवं ग्राम केगांव की सम्मिलित ग्राम सीमा रेखा पर स्थित बिंदु 'ठ' से मिलती है।
- ठ-ड: सीमा रेखा बिंदु 'ठ' से आरंभ होती है तथा दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर ग्राम केगांव एवं ग्राम गोधणी की सम्मिलित ग्राम सीमा रेखा पर स्थित बिंदु 'ड' से मिलती है।
- ड-ढ: सीमा रेखा बिंदु 'ड' से आरंभ होती है तथा दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर ग्राम गोधणी में स्थित बिंदु 'ढ' से मिलती है।

[फा. सं. 43015/3/2026-एलएआईआर]

डॉ. गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2026

S.O. 2983(E).— Whereas, it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And whereas, the plan bearing number C-I(E)/III/JJNR/0426/1037, dated the 11th April, 2026, containing details of the area of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur- 440 001 (Maharashtra) or at the office of the Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi - 834 001, Jharkhand or at the office of the Coal Controller, Scope Minar, 5th floor, Core-2, Laxmi Nagar, New Delhi-110092 or at the office of the District Collector, District Yavatmal (Maharashtra);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from land described in the said Schedule;

Any persons interested in the land described in the said Schedules may -

- (i) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 thereof; or
- (ii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act,

to the Office of the Area General Manager, Western Coalfields Limited, Wani North Area, Post Bhallar, District Yavatmal (Maharashtra), or General Manager (Land and Revenue), Western Coalfields Limited, Land and Revenue Department, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur - 440 001 (Maharashtra) within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

WCL

Yavatmal

Borda UG Mine

Borda & Borda Extn.(comb.) Geological Sub-Block

[Plan bearing number: C-I(E)/III/JJNR/0426/1037, dated the 11th April, 2026]

Sr. No.	Name of Village	PC No.	Tahsil	District	Description of Land				Remarks
					Tenancy	Government	Forest	Total (in hectare)	
1	Arjuni	24	Maregaon	Yavatmal	488.74	34.16	0.00	522.90	Part
2	Surla	14	Zhari Jamni	Yavatmal	320.91	7.18	0.00	328.09	Part
3	Godhani	24	Maregaon	Yavatmal	256.34	6.39	129.11	391.84	Part
4	Umarghat	24	Maregaon	Yavatmal	162.97	26.21	0.00	189.18	Part
5	Jagloan	24	Maregaon	Yavatmal	83.91	2.49	0.00	86.40	Part
6	Kegaon	24	Maregaon	Yavatmal	6.50	0.00	0.00	6.50	Part
7	Borda	27	Wani	Yavatmal	0.00	1.48	296.62	298.10	Part
Total					1319.37	77.91	425.73	1823.01	

Total Area: 1823.01 hectares (approximately) or 4504.658 acres (approximately)

BOUNDARY DESCRIPTION:

- A–B: The boundary line starts from point ‘A’ in village Jagloan and passes towards North-West direction, meeting at point ‘B’ on the common village boundary of Jagloan and Surla.
- B–C: Line starts from point ‘B’, and passes towards the North-West direction through Surla village and meets at point ‘C’ at the village road of Surla.
- C–D: Line starts from point ‘C’, passes towards the North-West direction and meets at point ‘D’ within Surla village.
- D–E: Line starts from point ‘D’ and passes towards the North-West direction through Surla village and meets at point ‘E’ on the common village boundary of Arjuni and Surla.
- E–F: Line starts from point ‘E’ passes towards the North-West direction along the village boundary of Arjuni and meets at point ‘F’ within Arjuni village near the Arjuni River/Nallah.
- F–G: Line starts from point ‘F’ passes towards the North-West direction, crossing the Arjuni River/Nallah, and meets at point ‘G’ on the Arjuni village boundary.
- G–H: Line starts from point ‘G’, passes towards the North direction along the Arjuni village boundary and meets at point ‘H’.
- H–I: Line starts from point ‘H’, passes towards the North-East direction and meets a small river/nallah at point ‘I’ on the Arjuni village boundary.
- I–J: Line starts from point ‘I’, passes towards the North direction to meet point ‘J’ on the Arjuni village boundary.
- J–K: Line starts from point ‘J’, passes towards the South-East direction, crossing the small river/nallah, and meets at point ‘K’ on the Arjuni village boundary.
- K–L: Line starts from point ‘K’, passes towards the East direction and meet at point ‘L’ located on the common village boundary of Arjuni and Kegaon,.

- L–M: Line starts from point ‘L’, passes towards the South-East direction and meets at point ‘M’, located on the common village boundary of Kegaon and Godhani.
- M–N: Line starts from point ‘M’, passes towards the South-East direction up to point ‘N’, located within the Godhani village boundary.
- N–O: Line starts from point ‘N’, passes towards the South-East direction and meets at point ‘O’ within the Godhani village boundary.
- O–P: Line starts from point ‘O’, passes towards the south direction and meets at point ‘P’ within the Borda village boundary.
- P–Q: Line starts from point ‘P’, passes towards the South-West direction and meets at point ‘Q’ within the Borda village boundary.
- Q–R: Line starts from point ‘Q’, passes towards the South-East direction and meets at point ‘R’ within the Borda village boundary.
- R–S: Line starts from point ‘R’, passes towards the South-West direction and meets at point ‘S’ within the Borda village boundary.
- S–T: Line starts from point ‘S’, passes towards the South-West direction and meets at point ‘T’ within the Umarghat village boundary.
- T–U: Line starts from point ‘T’, passes towards the South-West direction and meets at point ‘U’ within the Umarghat village boundary.
- U–A: Line starts from point ‘U’, passes towards the South-West direction and meets the starting point ‘A’ on the common village boundary of Jagloan and Umarghat, thus completing the boundary.

[F. No. 43015/3/2026-LAIR]

Dr. GOPAL SINGH, Jt. Secy.